

प्रेस नोट थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर दिनांक 19.08.2026

गैर-इरादतन हत्या का अपराध कारित करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्ता गिरफ्तार व 01 नफर बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर मा0 किशोर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है

अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोला के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक उरुवा बाजार के नेतृत्व में मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0213/2026 धारा 105 भा0न्या0सं0 से संबंधित अभियुक्ता राजमती पत्नी श्रीराम को गिरफ्तार व 01 नफर बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी के पति द्वारा जानवर को रोकने के लिए बांस का डण्डा लगाया गया था जिसे दिनांक 18.08.2026 को वादिनी की बहू (अभियुक्ता) द्वारा हटा दिया गया जिसको लेकर वादिनी के पति अपने बहू (अभियुक्ता) को डाट रहे थे तभी बहू द्वारा उन्हें धक्का दे दिया गया और कुछ देर बाद वादिनी के पति का मृत्यु हो गई। वादिनी के पति काफी बुजुर्ग और बीमार थे।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता-

राजमती पत्नी श्रीराम निवासी हुसैनपुर थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर

अभियोग में लिया गया-

01 नफर बाल अपचारी

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 0213/2026 धारा 105 भा0न्या0सं0 थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 श्री राम सुदर्शन थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर
2. रि0कां0 शिवसेन यादव थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर
3. रि0कां0 रुपेश पाण्डेय (सादे वस्त्र में) थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर
4. रि0म0कां0 आसमा कुमारी थाना उरुवा बाजार जनपद गोरखपुर